भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद INDIAN COUNCIL OF MEDICAL RESEARCH नियम 54 (12) देखें/ See Rule 54 (12)

परिवार का ब्यौरा/DETAILS OF FAMILY

सरकारी व	कर्मचारी का नामः				
Name	of the Governement s	servant :			
पदनामः		-			
Design					
जन्मतिथि	0				
	f birth :				
	तारीखः				
Date of	f appointment:				
	र के सदस्यों का ब्यौराः	2 14			
* Detai	ils of the members of	my family	as on:		
	0 2				
	परिवार के सदस्य का नाम		अधिकारी से संबंध	कार्यालय प्रधान के	टिप्पणी Remarks
Sl.No.	Name of the members of family	Date of Birth	Relationship with the officer	हस्ताक्षर	Remarks
	Of fairing	Dirtii		Initials of the head of office	
1				nedd of office	
1.0					
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
7.					
/ *					
8.					
0.					
0					
9.					
10.					

मैं एतद्द्वारा किसी भी वृद्धि / परिवर्तन के लिए कार्यालय प्रधान को अधिसूचित करते हुए ऊपर दिये गये विवरण को अद्यतन रखने का वचन देता हूँ।

I hereby undertake to keep the above particulars up-to-date by notifying to the Head of Office any addition or alteration.

सरकारी कर्मचारी के हस्ताक्षर Signature of Government servant

स्थान/Place :

दिनांक/Dated:

इस उद्देश्य के लिए परिवार का तात्पर्य सीसीएस पेंशन नियमावली, 1972 के नियम 54 के उप-नियम 14 के खंड (ख) में परिभाषित परिवार से है।

* Family for this purpose means family as defined in Clause (b) of sub-rule (14) of Rule 54 of the CCS (pension) Rules, 1972.

नोटः पत्नी और पति क्रमशः कानूनी तौर पर अलग हुए पत्नी और पति शामिल है । Note : Wife and husband shall include respectively judicially separated wife and husband.